



सत्यमेव जयते

# लेखे एक नजर में 2015-16



राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

**लेखे एक नजर में**  
**2015-2016**

प्रधान महालेखाकार  
(लेखे एवं हकदारी)  
राजस्थान, जयपुर

## प्रस्तावना

'लेखे एक नजर में' एक वार्षिक प्रकाशन है जो सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसाकि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। सूचना संक्षिप्त स्पष्टीकरण, विवरण व ग्राफ द्वारा दर्शायी गयी है।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार बनाये और जांचे जाते हैं। वार्षिक लेखे (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे का समावेश हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान के अनुसार किये गये व्यय अंकित किये जाते हैं और वास्तविक व्यय तथा निधि व्यवस्था के बीच अन्तर के स्पष्टीकरण का सार अंकित किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है।

सुझाव जो इस प्रकाशन के सुधार में हमें मददगार होंगे, का स्वागत है।

सुदर्शना तलापत्रा

(सुदर्शना तलापत्रा)

प्रधान महालेखाकार

स्थान : जयपुर,

दिनांक : दिसम्बर 16, 2016

## विषय सूची

		पृष्ठ
<b>अध्याय 1</b>	<b>विहंगावलोकन</b>	
1.1.	प्रस्तावना	1
1.2.	लेखाओं का ढाँचा	1-2
1.3.	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3-4
1.4.	निधियों का स्रोत तथा आवेदन	4-6
1.5.	लेखे की विशिष्टताएं	7
1.6.	अधिशेष तथा घाटा क्या इंगित करते हैं ?	8-9
<b>अध्याय 2</b>	<b>प्राप्तियां</b>	
2.1.	प्रस्तावना	10
2.2.	राजस्व प्राप्तियां	10-11
2.3.	प्राप्तियों का रुझान	12-13
2.4.	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली	13
2.5.	कर संग्रहण की दक्षता	14
2.6.	गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रुझान	14
2.7.	सहायतार्थ अनुदान	15
2.8.	लोक ऋण	15
<b>अध्याय 3</b>	<b>व्यय</b>	
3.1.	प्रस्तावना	16
3.2.	राजस्व व्यय	16-18
3.3.	पूँजीगत व्यय	18-19
<b>अध्याय 4</b>	<b>आयोजना तथा आवोजना भिन्न व्यय</b>	
4.1.	व्यय का वितरण	20
4.2.	आयोजना भिन्न व्यय	20
4.3.	आयोजना व्यय	21
4.4.	वचनबद्ध व्यय	22
<b>अध्याय 5</b>	<b>विनियोग लेखे</b>	
5.1.	विनियोग लेखे का सारांश	23
5.2.	गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रुझान	23
5.3.	महत्वपूर्ण बचत	24-26
<b>अध्याय 6</b>	<b>सम्पत्तियां एवं दायित्व</b>	
6.1.	सम्पत्तियां	27
6.2.	ऋण एवं देयता	27-28
6.3.	गारन्टियां	28
<b>अध्याय 7</b>	<b>ऋण मदें</b>	
7.1.	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम	29
7.2.	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	29
7.3.	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	30
7.4.	लेखों का अंक मिलान	30
7.5.	व्यय की प्रचुरता	30-31
7.6.	कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति	32
7.7.	सारांशीकृत आकस्मिक बिल तथा विस्तृत आकस्मिक बिल	32
7.8.	अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों के लेखे पर वचनबद्धता	32



## विहंगावलोकन

### 1.1. प्रस्तावना


प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखों का संकलन किया जाता है। यह संकलन 41 जिला कोषालयों, 267 सार्वजनिक निर्माण खण्डों, 70 वन खण्डों, अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों पर आधारित है। इस संकलन से, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) वार्षिक रूप से वित्त तथा विनियोग लेख तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राजस्थान द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

### 1.2. लेखाओं का ढाँचा

1.2.1. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में संधारित किये जाते हैं :

<b>भाग I</b> समेकित निधि	राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियां तथा व्यय, लोक ऋण तथा कर्जे एवं अग्रिम।
<b>भाग II</b> आकस्मिकता निधि	अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से जिनके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। इस निधि से किये गये व्यय को बाद में समेकित निधि से पूरित किया जाता है।
<b>भाग III</b> लोक लेखा	ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण एवं उचन्त लेन-देन समाहित हैं। ऋण एवं जमा सरकार के पुनर्भुगतान दायित्वों को दर्शाता है। पेशगियां सरकार की प्राप्त होने योग्य हैं। प्रेषण तथा उचन्त संव्यवहार समायोजन प्रविष्टियां हैं जो लेखे के अंतिम शीर्ष में इन्द्राज से अन्ततोगत्वा समायोजित होनी आवश्यक है।

### 1.2.2. लेखों का संकलन



### 1.3. वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

#### 1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियों तथा वितरणों को दर्शाते हैं, साथ ही लेखों में दर्ज राजस्व तथा पूंजीगत लेखों, लोक ऋण तथा लोक लेखे के शेषों द्वारा वित्तीय परिणाम दिखाते हैं। वित्त लेखे अधिक व्यापक और सूचनार्थक बनाने हेतु दो खण्डों में तैयार किये जाते हैं। वित्त लेखे के खण्ड-I में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, प्राप्तियों एवं भुगतानों (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम एवं लोक ऋण), निवेशों, गारण्टियों, सहायतार्थ अनुदान के सारांशीकृत विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखाओं की गुणवत्ता तथा अन्य मदों से समाहित 'लेखाओं से टिप्पणियाँ' हैं; खण्ड-II में विस्तृत विवरण (भाग-I) तथा परिशिष्ट (भाग-II) है।

राजस्थान सरकार की प्राप्तियाँ तथा वितरण, जैसा कि वित्त लेखे 2015-16 में प्रदर्शित है, नीचे दिये गये हैं:-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ (कुल : 1,64,827)	राजस्व (कुल : 1,00,285)	कर राजस्व	70,629
		करेतर राजस्व	10,928
		सहायतार्थ अनुदान	18,728
	पूंजीगत (कुल : 64,541)	प्राप्तियाँ	25
		कर्जे तथा अग्रिम की वसूली	1,447
		उधार तथा अन्य दायित्व *	63,070
वितरण (कुल: 1,64,827)	राजस्व	1,06,239	
	पूंजीगत	21,986	
	कर्जे तथा अग्रिम	36,602	

\* उधार तथा अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ - वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-वितरण) + रोकड़ शेष का निवल (प्रारम्भिक - अंतिम)।

भारत सरकार के निर्णय, कि सी.एस.एस./ए.सी.ए. के अन्तर्गत सभी सहायता राज्य सरकार को जारी की जाये ना कि कार्यकारी अभिकरणों को, के उपरान्त भी भारत सरकार द्वारा निरन्तर कार्यकारी अभिकरणों को सीधे निधियाँ जारी की गयीं। 2015-16 के दौरान, ₹ 615 करोड़ जारी किये गये जो कि 2014-15 में कार्यकारी अभिकरणों को जारी राशी से 9.62 % अधिक हैं। ये हस्तान्तरण वित्त लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किये गये हैं।

### 1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे के पूरक हैं। ये समेकित निधि पर 'भारित' तथा राज्य विधानसभा द्वारा 'पारित' राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। इसमें 4 प्रभारित विनियोजन तथा 51 दत्तमत अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2015-16 में सकल व्यय के लिये ₹ 1,41,232 करोड़ तथा व्यय की कमी (वसूलियों) के लिए ₹ 3,519 करोड़ के प्रावधान कराये गये। इसके विरुद्ध, वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,73,808 करोड़ तथा व्यय में कमी ₹ 4,022 करोड़ थी, परिणामस्वरूप शुद्ध आधिक्य ₹ 32,576 करोड़ तथा व्यय की कमी पर ₹ 503 करोड़ (14 प्रतिशत) अनुमान से अधिक रहे। सकल व्यय में सारांश आकस्मिक (एसी) बिल द्वारा आहरित ₹ 212 करोड़ शामिल हैं जो कि वर्ष के अन्त तक विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल की प्रत्याशा में बकाया थे।

2015-16 के दौरान, ₹ 22,996 करोड़ लोक लेखा के अंतर्गत निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते में स्थानान्तरित/जमा किये गये, जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पदनामित प्रशासकों द्वारा संधारित किये जाते हैं। ऐसे स्थानान्तरणों का विवरण, यदि कोई, तथा व्यक्तिगत निजी निक्षेप खातों में बकाया शेष केवल कोषालय के पास उपलब्ध होता है, क्योंकि ऐसे अभिलेखों के संधारण के लिए वे ही उत्तरदायी हैं।

## 1.4. निधियों का स्रोत तथा आवेदन

### 1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता बनाये रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संधारित तयशुदा न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 2.34 करोड़) में यदि कमी आती है, तो अधिविकर्ष (ओडी) की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। 2015-16 के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष सुविधा नहीं ली गयी।

### 1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य का ₹ 5,954 करोड़ का राजस्व घाटा तथा ₹ 63,070 करोड़ का राजकोषीय घाटा (उदय सहित) था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)<sup>1</sup> का क्रमशः 0.88 प्रतिशत तथा 9.36 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 38.26 प्रतिशत था। यह घाटा लोक ऋण (₹ 56,039 करोड़) तथा लोक लेखा एवं रोकड़ शेष में निवल वृद्धि (₹ 7,031 करोड़) से पूरित किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति (₹ 1,00,285 करोड़) का लगभग 71 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे, संवेतन (₹ 25,338 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 12,008 करोड़), पेंशन (₹ 10,864 करोड़), सहाय्य (₹ 10,461 करोड़), वेतन के लिए सहायतार्थ अनुदान (₹ 8,119 करोड़), सामाजिक सुरक्षा पेंशन (₹ 3,550 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 533 करोड़) पर खर्च हुआ।

<sup>1</sup> सिवाय जहां अन्यथा दर्शाया गया हो, इस प्रकाशन में उपयोजित सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग के आर्थिक सर्वे से लिये गये हैं।



## निधियों का स्रोत एवं आवेदन


( ₹ करोड़ में )

	विवरण	राशि
	01.04.2015 को प्रारम्भिक नकद शेष	31
	राजस्व प्राप्तियां	1,00,285
	पूँजीगत प्राप्तियां	25
	कर्ज तथा अग्रिम की वसूली	1,447
	लोक ऋण	60,998
स्रोत	अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	7,967
	आरक्षित निधियां	4,783
	प्राप्त जमाएं	1,25,565
	सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	6
	उचन्त लेखा *	1,60,693
	प्रेषण	9,617
	आकस्मिकता निधि	..
	<b>योग</b>	<b>4,71,417</b>

	विवरण	राशि
	राजस्व व्यय	1,06,239
	पूँजीगत व्यय	21,986
	दिये गये ऋण	36,602
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,959
	अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	4,700
आवेदन	आरक्षित निधियां	4,568
	खर्च की गयी जमाएं	1,23,309
	दिये गये सिविल अग्रिम	6
	उचन्त लेखा *	1,58,921
	प्रेषण	9,638
	31.03.2016 को अंतिम नकद शेष	489
	<b>योग</b>	<b>4,71,417</b>


\* उचन्त खाते में कोषालय बिलों में निवेशित ₹ 1,58,896 करोड़ तथा विभागीय शेषों तथा स्थायी नकद अग्रदाय का वितरण, जिन्हें “ आवेदन ” पक्ष की ओर दर्शाया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बिल विक्रय किये गये (₹ 1,60,609 करोड़) के कोषालय बिलों (“पुनः बटूटे” के रूप में जाने जानी वाली एक प्रक्रिया) तथा विभागीय शेषों तथा स्थाई नकद अग्रदाय में प्राप्तियां जिन्हें “ स्रोतों ” की तरफ दर्शाया गया है, सम्मिलित है। ऐसे निवेश का निवल राज्य सरकार के अंतिम नकद शेष (₹ 1,713 करोड़) को पूरित करता है।

1.4.3. रुपया जहाँ से आया :



\* लोक लेखे (रोकड़ शेष सहित) घटक निवल लिये गये हैं।

1.4.4. रुपया जहाँ गया :



## 1.5. लेखे की विशिष्टताएं

	आय-व्ययक अनुमान 2015-16	वास्तविक	वास्तविक का आय-व्ययक अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता <sup>@</sup>
	(₹ करोड़ में)			
1.	कर राजस्व*	76,021	70,629	92.91
2.	करेत्तर राजस्व	15,496	10,928	70.52
3.	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	19,845	18,728	94.37
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	1,11,362	1,00,285	90.05
5.	पूंजीगत प्राप्तियां	8	25	312.50
6.	कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	903	1,447	160.24
7.	निवल उधार और अन्य दायित्व	20,610	63,070	306.02
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	21,521	64,542	299.90
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	1,32,883	1,64,827	124.04
10.	आयोजना भिन्न व्यय	75,560	74,599	98.73
11.	राजस्व लेखे पर आयोजना भिन्न व्यय	75,561	74,601	98.73
12.	ब्याज अदायगियां आयोजना भिन्न व्यय कॉलम 11 में से	11,962	12,008	100.38
13.	पूंजीगत लेखा पर आयोजना भिन्न व्यय	(-) 1	(-) 2	200.00
14.	आयोजना व्यय	57,323	90,228	157.40
15.	राजस्व लेखा पर आयोजना व्यय	35,244	31,638	89.77
16.	पूंजीगत लेखा पर आयोजना व्यय	22,079	58,590	265.37
17.	कुल व्यय (10+14)	1,32,883	1,64,827	124.04
18.	राजस्व लेखे पर व्यय (11+15)	1,10,805	1,06,239	95.88
19.	पूंजीगत लेखे पर व्यय ** (13+16)	22,078	58,588	265.37
20.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)*** (4-18)	(+) 557	(-) 5,954	..
21.	राजकोषीय घाटा ** * [17-(4+5+6)]=7	20,610	63,070#	306.02

@ विस्तृत रूप से वर्ष के दौरान स्थायी सम्पत्तियों के उपभोग हेतु प्रावधान करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है।

\* भारत सरकार से प्राप्त राज्य को निवल आगम का भाग शामिल है।

\*\* पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹ 21,986 करोड़) तथा वितरित किये गये कर्जों और पेशगियां (₹ 36,602 करोड़) शामिल हैं।

\*\*\* राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (वितरित कर्जों और पेशगियां सहित) का राजस्व प्राप्तियों, कर्जों और पेशगियां की वसूलियां तथा अन्य प्राप्तियां पर रहे आधिक्य को राजकोषीय घाटे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।


# इसमें ₹ 40,050 करोड़ राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अन्तर्गत विभिन्न विद्युत कम्पनियों को निवेश तथा कर्जों हेतु किया गया व्यय सम्मिलित है।

## 1.6. अधिशेष तथा घाटा क्या इंगित करते हैं ?

<b>घाटा</b>	प्राप्ति तथा व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे पोषित होता है तथा निधियों का आवेदन, वित्तीय प्रबन्धन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचक है।
<b>राजस्व घाटा/अधिशेष</b>	राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान ढाँचे के संधारण में आवश्यक है तथा आदर्श रूप से राजस्व प्राप्तियों से पूरित होना चाहिये।
<b>राजकोषीय घाटा/अधिशेष</b>	कुल प्राप्तियां (उधार के अतिरिक्त) तथा कुल व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। यह अंतर यद्यपि, उधार द्वारा पोषित व्यय का सूचक है। आदर्श रूप से उधार पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।


घाटा सूचक, राजस्व आवर्द्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जांचने के मुख्य मापदण्ड है। ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंषा की प्राप्ति के लिये राजस्थान सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 गठित किया गया तथा 2006 में इससे सम्बन्धित नियमावली अधिसूचित की गयी। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (2011) तथा 2016 में संशोधन के अनुसार राज्य ने (i) वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे को खत्म करने तथा उसके बाद यथास्थिति रखने अथवा राजस्व अधिशेष की प्राप्ति, (ii) वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत या इससे कम करने तथा उसके बाद में इसे बनाये रखना तथा (iii) 2015-16 की समाप्ति पर बकाया दायित्वों को अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 36.50 प्रतिशत तक कम करने के लिए राजकोषिय लक्ष्य निर्धारित किये। राज्य सरकार का 2010-11 से 2012-13 तक राजस्व अधिशेष था जो 2013-14 में राजस्व घाटे में बदल गया जो आगे 2015-16 में बढ़ा। 2015-16 के अन्त में राजकोषीय घाटा अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 9.36 प्रतिशत तथा बकाया दायित्व 31.06 प्रतिशत थे।

### 1.6.1. राजस्व घाटा/अधिशेष का रुझान






### 1.6.2. राजकोषीय घाटे का रुझान



### 1.6.3. उधार ली गई निधियों का अनुपात जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया



यह वांछित है कि उधार ली गई निधियों का पूर्ण उपयोग पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जाये, तथा राजस्व प्राप्तियों का प्रयोग मूलधन तथा उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु किया जाए। राज्य सरकार ने यद्यपि, पूंजी लेखे (₹ 21,986 करोड़) पर चालू वर्ष की उधारी (₹ 60,998 करोड़) की तुलना में कम व्यय किया तथा शेष उधारी (₹ 39,012 करोड़) को राजस्व घाटे (₹ 5,954 करोड़) की पूर्ति तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत विद्युत कम्पनियों को कर्जे में उपयोजित की गयी।

## प्राप्तियां

### 2.1. प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। 2015-16 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 1,64,827 करोड़ थीं।

### 2.2. राजस्व प्राप्तियां


<b>कर राजस्व</b>	राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोजित कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।
<b>करेत्तर राजस्व</b>	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी आदि सम्मिलित हैं।
<b>सहायतार्थ अनुदान</b>	संघ सरकार से राज्य सरकार को आवश्यक केन्द्रीय सहायता का रूप है, जिसमें विदेशी सरकारों तथा संघ सरकार के माध्यम से प्राप्त " बाह्य सहायता " सम्मिलित है। राज्य सरकार भी संस्थाओं जैसे पंचायती राज्य संस्थाएं, स्वायत्तशासी निकायों आदि को सहायतार्थ अनुदान देती है।

#### 2.2.1. राजस्व प्राप्ति के घटक (2015-16)

(₹ करोड़ में)

संघटक	वास्तविक	राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता
<b>क. कर राजस्व *</b>	<b>70,629</b>	<b>70.43</b>
आय एवं व्यय पर कर	14,835	14.79
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	3,517	3.51
सेवाओं एवं वस्तुओं पर कर	52,277	52.13
<b>ख. करेत्तर राजस्व</b>	<b>10,928</b>	<b>10.90</b>
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	2,079	2.07
सामान्य सेवाएं	1,240	1.24
सामाजिक सेवाएं	1,033	1.03
आर्थिक सेवाएं	6,576	6.56
<b>ग. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान</b>	<b>18,728</b>	<b>18.67</b>
<b>योग- राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>1,00,285</b>	<b>100.00</b>

\* भारत सरकार से प्राप्त राज्यों का निवल आगम का भाग सम्मिलित है।



### 2.2.2. कर राजस्व के मुख्य अशंदाता:-

(₹ करोड़ में)

संघटक	वास्तविक	सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26,345	3.91
निगम कर	8,760	1.30
राज्य उत्पाद शुल्क	6,713	1.00
निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,073	0.90
सेवा कर	4,864	0.72
सीमा शुल्क	4,464	0.66
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,234	0.48
संघ उत्पाद शुल्क	3,731	0.55
वाहन कर	3,199	0.47

वर्ष के दौरान शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 5,392 करोड़ कम था। मुख्य परिवर्तन निम्न रहे:-

(₹ करोड़ में)

जहां वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से कम थी		जहां वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक थी	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,155	संघ उत्पाद शुल्क	841
निगम कर से भिन्न आय पर कर	994	माल तथा यात्रा पर कर	416
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	966	राज्य उत्पाद शुल्क	413
निगम कर	812	विद्युत पर कर तथा शुल्क	140
भू-राजस्व	128		
वाहन कर	101		
सेवा कर	89		
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	41		


### 2.3. प्राप्तियों का रुझान

( ₹ करोड़ में )

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कर राजस्व	40,354 (9)	47,606 (10)	52,151 (10)	58,490 (10)	70,629 (10)
करेत्तर राजस्व	9,175 (2)	12,133 (2)	13,575 (2)	13,229 (2)	10,928 (2)
सहायतार्थ अनुदान	7,482 (2)	7,174 (1)	8,745 (2)	19,608 (3)	18,728 (3)
कुल राजस्व प्राप्ति	57,011 (13)	66,913 (13)	74,471 (14)	91,327 (15)	1,00,285 (15)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,36,465	4,94,004	5,49,701	6,12,194	6,74,137

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

2015-16 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ा तथा राजस्व संग्रहण में 10 प्रतिशत की वृद्धि थी। कर राजस्व 21 प्रतिशत की बढ़ा जबकि करेत्तर राजस्व तथा सहायतार्थ अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 17 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत घटा।






## खण्डवार राजस्व कर

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आय एवं व्यय पर कर	8,890 (2)	9,822 (2)	10,415 (2)	11,863 (2)	14,835 (2)
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	3,061 (1)	3,800 (1)	3,494 (1)	3,501 (1)	3,517 (1)
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	28,403 (6)	33,984 (7)	38,242 (7)	43,126 (7)	52,277 (8)
कुल कर राजस्व	40,354 (9)	47,606 (10)	52,151 (10)	58,490 (10)	70,629 (11)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	<b>4,36,465</b>	<b>4,94,004</b>	<b>5,49,701</b>	<b>6,12,194</b>	<b>6,74,137</b>

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।



## 2.4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	केन्द्रीय करों का राज्यांश	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
			₹	जीएसडीपी पर प्रतिशतता
2011-12	40,354	14,977	25,377	6
2012-13	47,606	17,103	30,503	6
2013-14	52,151	18,673	33,478	6
2014-15	58,490	19,817	38,673	6
2015-16	70,629	27,916	42,713	6

## 2.5. कर संग्रहण की दक्षता

क. सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व संग्रहण	3,061	3,800	3,494	3,501	3,518
संग्रहण पर व्यय	461	526	545	619	635
कर संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत में)	15	14	16	18	18

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व संग्रहण	28,403	33,984	38,242	43,126	52,277
संग्रहण पर व्यय	615	503	577	803	1,071
कर संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत में)	2	1	2	2	2

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का मुख्य भाग बनाती है। कर संग्रहण क्षमता सराहनीय है। यद्यपि, सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर की संग्रहण क्षमता में सुधार होना चाहिये।


## 2.6. गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रुझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
निगम कर	5,895	6,144	6,280	6,920	8,760
आय पर निगम कर से भिन्न कर	2,994	3,678	4,135	4,942	6,073
धन पर कर	23	10	17	19	2
सीमा शुल्क	2,597	2,842	3,047	3,205	4,464
संघ उत्पाद शुल्क	1,680	1,931	2,152	1,810	3,731
सेवा शुल्क	1,788	2,498	3,042	2,921	4,864
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	..	..	..	..	22
<b>संघ करों के राज्यांश</b>	<b>14,977</b>	<b>17,103</b>	<b>18,673</b>	<b>19,817</b>	<b>27,916</b>
<b>कुल कर राजस्व</b>	<b>40,354</b>	<b>47,606</b>	<b>52,151</b>	<b>58,490</b>	<b>70,629</b>
<b>कुल कर राजस्व पर संघ करों का प्रतिशत</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>40</b>

## 2.7. सहायतार्थ अनुदान

सहायतार्थ अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें नीति आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य आयोजनागत योजनाएं एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य आयोजना भिन्न अनुदान सम्मिलित है। 2015-16 के दौरान सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 18,728 करोड़ नीचे दर्शाए अनुसार हैं:



## 2.8. लोक ऋण

लोक ऋण (निवल) का गत 5 वर्षों का रुझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आन्तरिक ऋण	2,559	5,516	10,608	12,896	54,815
केन्द्रीय ऋण	(-) 131	(-) 268	(-) 232	285	1,224
<b>कुल लोक ऋण</b>	<b>2,428</b>	<b>5,248</b>	<b>10,376</b>	<b>13,181</b>	<b>56,039</b>

टिप्पणी : ऋण राशियां प्राप्तियों के अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करती है।

2015-16 में कुल ₹ 15,800 करोड़ के सत्रह ऋण 7.95 प्रतिशत से 8.65 प्रतिशत की विभिन्न ब्याज दर पर लिये गये। इन ऋणों में से ग्यारह ऋण वर्ष 2025 में चुकता होंगे तथा छः 2026 में चुकता होंगे।

## व्यय

### 3.1. प्रस्तावना

व्यय, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत है। राजस्व व्यय संगठन को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। पूंजीगत व्यय का प्रयोग स्थायी सम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को बढ़ाने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए किया जाता है। व्यय को आगे आयोजना भिन्न तथा आयोजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, ब्याज अदायगियां, पुलिस, जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलपूर्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण तथा प्राकृतिक आपदाओं से राहत इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि सम्मिलित हैं।

### 3.2. राजस्व व्यय

2015-16 के लिये ₹ 1,06,239 करोड़ का राजस्व व्यय बजट अनुमानों से ₹ 4,566 करोड़ कम था जो आयोजना भिन्न व्यय के अंतर्गत ₹ 960 करोड़ तथा आयोजना व्यय के अंतर्गत ₹ 3,606 करोड़ का कम व्यय होने के कारण रहा। राज्य सरकार ने वर्तमान सेवाओं पर बढ़े हुए व्यय तथा नवीन सेवाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 7,044 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (सितम्बर 2015 में ₹ 3,212 करोड़ तथा मार्च 2016 में ₹ 3,832 करोड़) लिया। यद्यपि, वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व व्यय के विरुद्ध बजट अनुमानों की कमी/आधिक्य नीचे दिखाई जा रही है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बजट अनुमान	51,934	62,219	76,195	1,05,387	1,10,805
वास्तविक	53,654	63,462	75,510	94,542	1,06,239
अन्तर	(-) 1,720	(-) 1,243	685	10,845	4,566
बजट अनुमानों पर अन्तर की प्रतिशतता	(-) 3	(-) 2	1	10	4

राजस्व व्यय का लगभग 67 प्रतिशत वेतन (₹ 25,338 करोड़), ब्याज अदायगियां (₹ 12,008 करोड़), पेंशन (₹ 10,864 करोड़), सहाय्य (₹ 10,461 करोड़), वेतन हेतु सहायतार्थ अनुदान (₹ 8,119 करोड़), सामाजिक सुरक्षा पेंशन (₹ 3,550 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 533 करोड़) पर "वचनबद्ध" था।


वचनबद्ध तथा गैर वचनबद्ध राजस्व व्यय की गत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दिखायी जा रही है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय	53,654	63,462	75,510	94,542	1,06,239
वचनबद्ध राजस्व व्यय	32,859	38,257	44,408	64,175	70,873
गैर वचनबद्ध राजस्व व्यय	20,795	25,205	31,102	30,367	35,366

\* 2014-15 के दौरान "सहायतार्थ अनुदान (वेतन)" तथा "सामाजिक सुरक्षा पेंशन" पर व्यय को वचनबद्ध राजस्व व्यय में शामिल किया गया, पूर्व में ये गैर वचनबद्ध राजस्व व्यय में सम्मिलित थे।

### 3.2.1. राजस्व व्यय के मुख्य संघटक (2011-2016)



\* सामान्य सेवाएं में मुख्य शीर्ष 2049 (ब्याज अदायगियां) सम्मिलित नहीं है तथा मुख्य शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित है।

गत पाँच वर्षों के दौरान व्यय सभी क्षेत्रों में बढ़ा है।



### 3.2.2. राजस्व व्यय का खण्डवार विवरण

घटक	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
क. राजकोषीय सेवाएं	1,708	2
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	635	1
वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	1,071	1
अन्य राजकोषीय सेवाएं	2	..
ख. राज्य के अंग	792	1
ग. ब्याज अदायगियां तथा ऋण सेवा	12,008	11
घ. प्रशासनिक सेवाएं	5,244	5
ङ. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	11,264	10
च. सामाजिक सेवाएं	43,349	41
छ. आर्थिक सेवाएं	31,874	30
ज. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	..*	..
<b>कुल व्यय (राजस्व लेखा)</b>	<b>1,06,239</b>	<b>100</b>

\* ₹ 0.10 करोड़ मात्र ।

### 3.3. पूंजीगत व्यय

2015-16 के लिए ₹ 21,986 करोड़ का पूंजीगत वितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत था जो बजट अनुमानों से ₹ 1,226 करोड़ अधिक था ।

#### 3.3.1. पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण


2015-16 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 1,158 करोड़ विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर (₹ 487 करोड़ मुख्य सिंचाई पर, ₹ 146 करोड़ मध्यम सिंचाई पर तथा ₹ 525 करोड़ लघु सिंचाई पर), ₹ 4,376 करोड़ विभिन्न जलपूर्ति योजनाओं पर तथा ₹ 3,034 करोड़ सड़क तथा सेतु निर्माण पर व्यय किये । राज्य सरकार ने ₹ 9,508 करोड़ (निवल) का विभिन्न कम्पनियों/निगमों/सहकारी समितियों/बैंकों इत्यादि में भी निवेश किया । सरकारी निवेश का बड़ा हिस्सा विभिन्न विद्युत कम्पनियों (₹ 9,434 करोड़) में था।

### 3.3.2. गत पाँच वर्षों के पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)


विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सामान्य सेवाएं	204 (3)	249 (2)	334 (2)	534 (3)	441 (1)
सामाजिक सेवाएं	1,997 (24)	2,840 (22)	4,551 (31)	5,838 (35)	5,996 (10)
आर्थिक सेवाएं	4,918 (60)	7,594 (58)	8,779 (61)	9,731 (58)	15,549 (27)
कर्जे तथा पेशगियां	1,109 (13)	2,412 (18)	812 (6)	701 (4)	36,602 (62)
<b>कुल योग</b>	<b>8,228</b>	<b>13,095</b>	<b>14,476</b>	<b>16,804</b>	<b>58,588</b>

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शायी गयी राशियां कुल पूंजीगत व्यय पर प्रतिशतता दर्शाती हैं।




## आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय

### 4.1. व्यय का वितरण




### 4.2. आयोजना भिन्न व्यय

2015-16 के दौरान आयोजना भिन्न व्यय कुल वितरण के 45 प्रतिशत को दर्शाते हुए ₹ 74,599 करोड़ (₹ 74,601 करोड़ राजस्व के तहत, ₹ (-) 9 करोड़ पूंजीगत के तहत तथा ₹ 7 करोड़ कर्ज तथा अग्रिम के तहत) था।



### 4.3. आयोजना व्यय

2015-16 के दौरान आयोजना व्यय कुल वितरण के 55 प्रतिशत को दर्शाते हुए ₹ 90,228 करोड़ ( ₹ 31,638 करोड़ राजस्व के तहत, ₹ 21,995 करोड़ पूंजीगत के तहत तथा ₹ 36,595 करोड़ कर्ज तथा अग्रिम के तहत ) था।



#### 4.3.1. पूंजीगत लेखे के अंतर्गत आयोजना व्यय

( ₹ करोड़ में )

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल पूंजीगत व्यय	8,228	13,095	14,476	16,804	58,588
पूंजीगत व्यय (आयोजना)	8,154	12,924	14,340	16,733	58,590
कुल पूंजीगत व्यय पर पूंजीगत व्यय (आयोजना) की प्रतिशतता	99	99	99	99	100

#### 4.3.2. कर्ज एवं अग्रिम के अंतर्गत आयोजना व्यय


कर्ज तथा अग्रिम का महत्वपूर्ण वितरण निम्नानुसार है :

मुख्य शीर्ष	राशि ( ₹ करोड़ में )	उद्देश्य
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज	184	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, छोटे तथा मध्यम कस्बों के विकास हेतु नगरपालिकाएं/नगर परिषद
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज	25	राजस्थान राज्य भांडागार निगम को गोदाम निर्माण हेतु कर्ज
6425. सहकारिता के लिए कर्ज	18	ए.आर.सी. की विशिष्ट योजनाओं के ऋण पत्र के लिये सहकारी समितियों तथा समग्र तथा लघु सहकारिता विकास परियोजना हेतु अन्य सहकारी समितियों को कर्ज
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	36,148	विभिन्न विद्युत् कम्पनियों को कर्ज
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज	201	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल प्राधिकरण को कर्ज

#### 4.4. वचनबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

संघटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वचनबद्ध व्यय	32,859	38,257	44,408	64,175	70,873
राजस्व व्यय	53,654	63,462	75,510	94,542	1,06,239
राजस्व प्राप्तियों पर वचनबद्ध व्यय (प्रतिशत में)	58	57	60	70	71
राजस्व व्यय पर वचनबद्ध व्यय (प्रतिशत में)	61	60	59	68	67



वचनबद्ध व्यय पर बढ़ता रुझान सरकार को विकास कार्यों पर कम व्यय को मजबूर करता है।

## विनियोग लेखे

### 5.1. विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	अभ्यर्पण
राजस्व दत्तमत भारित	1,01,051 12,077	7,033 11	1,08,084 12,088	97,650 12,130	(-) 10,434 (+) 42	10,340 4
पूंजी दत्तमत भारित	21,956 ..*	5,430 *..*	27,386 **..*	22,467 ..\$	(-) 4,919 ..#	5,732 ..@
लोक ऋण भारित	4,830	1	4,831	4,959	(+) 128	..
कर्जे तथा पेशगियां दत्तमत	1,318	37,365	38,683	36,602	(-) 2,081	1,112
आकस्मिकता निधि से विनियोग दत्तमत	..	..	..	..	..	..
<b>योग</b>	<b>1,41,232</b>	<b>49,840</b>	<b>1,91,072</b>	<b>1,73,808</b>	<b>(-) 17,264</b>	<b>17,188</b>

\* ₹ 0.06 लाख मात्र

\$ ₹ 16.38 लाख मात्र

# ₹ (+) 0.03 लाख मात्र@

₹ 0.03 लाख मात्र

\*\* ₹ 16.35 लाख मात्र\*\*\*

₹ 16.41 लाख मात्र

### 5.2. गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-)/आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्जे तथा अग्रिम	
2011-12	(-) 3,525	(-) 3,343	..	(+) 331	(-) 6,537
2012-13	(-) 5,293	(-) 2,143	(-) 12	(+) 611	(-) 6,837
2013-14	(-) 6,787	(-) 2,903	(-) 17	(-) 27	(-) 9,734
2014-15	(-) 13,703	(-) 5,734	(+) 3	(+) 165	(-) 19,269
2015-16	(-) 10,392	(-) 4,919	(+) 128	(-) 2,081	(-) 17,264

### 5.3. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत निश्चित योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वित न होने अथवा धीमे क्रियान्वयन को दर्शाती है।

कुछ अनुदानों में निरन्तर तथा महत्वपूर्ण बचत नीचे दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
003	सचिवालय (राजस्व)	357	173	45	23	25
008	राजस्व (राजस्व)	137	97	72	61	114
009	वन (राजस्व)	135	154	188	117	43
009	वन (पूंजी)	20	27	16	88	14
012	अन्य कर (राजस्व)	11	13	46	82	138
015	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (राजस्व)	224	168	127	266	310
016	पुलिस (राजस्व)	66	40	85	87	46
019	लोक निर्माण कार्य (पूंजी)	109	136	278	688	319
021	सड़के एवं पुल (राजस्व)	10	140	26	93	436
021	सड़के एवं पुल (पूंजी)	159	133	7	881	605
022	क्षेत्र का विकास (पूंजी)	52	21	102	90	74
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति (राजस्व)	514	966	1,203	2,748	1,786
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई (राजस्व)	193	170	317	1,170	919
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई (पूंजी)	26	67	43	123	202
027	पेय जल योजना (राजस्व)	33	59	112	99	94
027	पेय जल योजना (पूंजी)	593	178	200	266	481
028	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (राजस्व)	11	85	30	284	244



## महत्वपूर्ण बचत— (समाप्त)

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
029	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास (राजस्व)	103	139	211	566	542
029	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास (पूँजी)	355	194	415	573	323
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास (राजस्व)	194	277	306	1,223	1,208
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास (पूँजी)	395	232	223	616	709
032	नागरिक आपूर्ति (राजस्व)	3	20	122	16	80
033	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (राजस्व)	91	174	200	233	808
033	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पूँजी)	22	86	11	256	144
034	प्राकृतिक आपदाओं से राहत (राजस्व)	544	408	87	127	351
035	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं (राजस्व)	28	35	22	450	55
037	कृषि (राजस्व)	89	117	88	410	326
037	कृषि (पूँजी)	34	4	17	120	136
039	पशुपालन एवं चिकित्सा (राजस्व)	8	20	26	121	46
041	सामुदायिक विकास (राजस्व)	27	113	199	636	242
043	खनिज (राजस्व)	58	82	25	95	139
046	सिंचाई (राजस्व)	55	57	96	112	87
046	सिंचाई (पूँजी)	171	229	279	212	294
050	ग्रामीण रोजगार (राजस्व)	76	61	57	1,222	739
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना (राजस्व)	203	196	262	1,654	905
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना (पूँजी)	402	124	275	497	941

2015-16 के दौरान ₹ 49,840 करोड़ की कुल अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 29 प्रतिशत) कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुई, जहाँ वर्ष की समाप्ति पर मूल आवंटन के विरुद्ध महत्वपूर्ण बचत भी रही। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
003	सचिवालय	राजस्व	302	2	279
005	प्रशासनिक सेवाएं	राजस्व	162	10	162
006	न्याय प्रशासन	राजस्व	604	21	580
006	न्याय प्रशासन	राजस्व प्रभारित	76	1	75
015	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	राजस्व	11,076	97	10,864
035	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	राजस्व	267	43	255
046	सिंचाई	राजस्व	1,898	1	1,812
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	राजस्व	5,950	265	5,311

## सम्पत्तियां एवं दायित्व

### 6.1. सम्पत्तियां

लेखों का वर्तमान प्रारूप सरकारी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन इत्यादि का मूल्यांकन, केवल प्राप्ति/क्रय करने का वर्ष छोड़कर सरलता से प्रदर्शित नहीं करता। इसी प्रकार, जबकि लेखे चालू वर्ष में बढ़े दायित्वों का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले समग्र दायित्वों के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल वर्तमान ऋण की अवधि तथा ब्याज की दर जैसे सीमित प्रदर्शन को छोड़कर।

2015-16 के अंत में गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश-पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 37,418 करोड़ था। यद्यपि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 97 करोड़ (अर्थात् 0.26 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ। 2015-16 के दौरान ₹ 9,508 करोड़ (निवल) से निवेश बढ़ा तथा लाभांश से आय ₹ 34 करोड़ से बढ़ी। मुख्य निवेश विद्युत् कम्पनियों (₹ 9,434 करोड़) में किया गया।

31 मार्च 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक में रोकड़ शेष ₹ 31 करोड़ था तथा मार्च 2016 के अंत तक ₹ 489 करोड़ तक बढ़ा।

### 6.2. ऋण एवं देयता


भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर निश्चित सीमा के अन्दर, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य विधान मण्डल द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई हो, उधार लेने के लिए अधिकृत करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है (आंकड़े वर्ष के अंत में अग्रोषित शेष हैं) :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	लोक लेखा *	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2011-12	71,706	16	34,854	8	1,06,560	24
2012-13	76,954	16	40,855	8	1,17,809	24
2013-14	87,330	16	42,580	8	1,29,910	24
2014-15	1,00,511	16	47,098	8	1,47,609	24
2015-16	1,56,550	23	52,836	8	2,09,386	31

\* अग्रिम, उचन्त तथा विविध एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर।



\* अन्य दायित्वों में आरक्षित निधियां तथा जमा सम्मिलित है।

### 6.3. गारन्टियां

सीधे कर्जे उगाहे जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न आयोजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उगाहे गये कर्जों के लिये गारन्टी भी देती है। ये गारन्टियां राज्य बजट के बाहर प्रायोजित की जाती है। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों, इत्यादि द्वारा लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान (मूल तथा इस पर ब्याज का भुगतान) के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	गारन्टी की अधिकतम राशि (मूलधन मात्र)	वर्ष के अंत में बकाया मूलधन
2011-12	97,566	60,711
2012-13	1,13,340	75,546
2013-14	1,40,526	85,911
2014-15	1,61,918	94,578
2015-16	1,61,236	53,620

*टिप्पणी:* विस्तृत विवरण वित्त लेखे के विवरण संख्या 20 में उपलब्ध है तथा ये राज्य सरकार तथा जहां उपलब्ध हुई, संबंधित संस्थाओं, से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

गारन्टी फीस 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर संगणित की जाती है। 2015-16 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 397 करोड़ गारन्टी मोचन निधि में स्थानान्तरित किये तथा ₹ 2,217 करोड़ के कुल शेष में से ₹ 1,817 करोड़ निवेशित किये गये।

## अन्य मदें

### 7.1. राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम

वर्ष 2015-16 के अंत में राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल कर्जे तथा अग्रिम ₹ 39,855 करोड़ थे। 2015-16 के दौरान ₹ 1,447 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम के पुनर्भुगतान बाबत प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 1,424 करोड़, राजस्थान आवास विकास तथा आधारभूत लिमिटेड (₹ 22 करोड़), राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (₹ 16 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 45 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 488 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 416 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 410 करोड़), विभिन्न सहकारी संस्थाएं (₹ 27 करोड़) के पुनर्भुगतान से संबंधित है। बकाया ऋणों की वसूली के लिये प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति के लिये मददगार होंगे।

### 7.2. रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2015 को	31 मार्च 2016 को	निवल वृद्धि / (+) कमी (-)
रोकड़ शेष	31	489	(+) 458
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल)	7,629	5,916	(-) 1,713
अन्य रोकड़ शेष	4	4	..
(क) विभागीय शेष	1	1	..
(ख) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	3	3	..
आरक्षित निधियों के शेष से निवेश	1,285	1,988	(+) 703
(क) गारन्टी मोचन निधि	1,105	1,817	(+) 712
(ख) अन्य निधियां	180	171	(-) 9
ब्याज प्राप्तियां *	826	674	(-) 152

\* इसमें गारन्टी मोचन निधि में से किये गये निवेश पर ब्याज सम्मिलित है।

2015-16 के अन्त में राज्य सरकार का अन्तिम रोकड़ शेष धनात्मक था।

### 7.3. स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

गत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायतार्थ अनुदान वर्ष 2011-12 में ₹ 12,337 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 31,725 करोड़ बढ़ी। जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगर पालिकाओं को दी गई अनुदान (₹ 19,046 करोड़) वर्ष के दौरान दी गई कुल अनुदान का 60 प्रतिशत है।

गत पाँच वर्षों में जारी की गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगर पालिकाएं तथा नगर निगमों	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियां	अन्य	योग
2011-12	1,116	1,340	5,102	4,779	12,337
2012-13	1,280	2,255	6,395	6,288	16,218
2013-14	2,118	2,324	6,835	7,486	18,763
2014-15	5,787	2,451	8,046	12,045	28,329
2015-16	7,417	3,064	8,565	12,679	31,725

### 7.4. लेखों का अंक मिलान

लेखों की सटीकता तथा विश्वसनीयता, अन्य बातों के बीच, विभाग के उपलब्ध आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) द्वारा संकलित लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के समय पर अंकमिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान सभी 415 नियंत्रण अधिकारियों ने कुल व्यय राशि ₹ 1,69,786 करोड़ (निवल) का अंकमिलान किया। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के लिए सभी 160 नियंत्रण अधिकारियों ने कुल प्राप्त राशि ₹ 1,00,310 करोड़ का अंक मिलान किया।

### 7.5. व्यय की प्रचुरता

वित्तीय नियम अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषतया अंतिम माह में व्यय की प्रचुरता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जायेगा तथा इससे बचा जाना चाहिये। यद्यपि, कुछ चयनित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2016 में वर्ष के दौरान कुल व्यय का 51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच व्यय हुआ है जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में बजट का उपयोग किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2015-16 के चार त्रैमासिक के दौरान व्यय का प्रवाह उक्त दशायि शीर्षों में निम्नलिखित था :-

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च के दौरान	2015-16 के कुल व्यय के संदर्भ में मार्च 2016 का प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)						
2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.61	0.57	0.85	398.18	400.21	398.06	99.46
2404	डेयरी विकास	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	3.90	100.00
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.10	0.09	0.08	0.44	0.71	0.36	50.70
3452	पर्यटन	5.30	11.50	7.46	50.86	75.12	46.12	61.40
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	15.56	62.94	35.90	242.84	357.27	203.85	57.06
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.01	0.01	0.02	0.06	0.10	0.06	60.00
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	1.21	100.00
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	9.08	19.66	19.67	106.57	155.02	87.97	56.75
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	24.28	63.69	62.82	424.79	575.58	358.10	62.22
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	25.75	42.75	111.85	180.35	92.54	51.31
4405	मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.01	0.37	1.16	1.54	0.91	59.09
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	3.11	22.28	25.39	14.39	56.68
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,632.33	468.25	468.27	6,864.98	9,433.83	6,466.42	68.55
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	(-) 0.04	0.03	0.33	0.32	0.48	150.00
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.01	2.13	2.14	2.13	99.53
6425	सहकारिता के लिए कर्ज	0.00	0.00	1.49	17.57	19.06	16.91	88.72



## 7.6. कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति

कोषालयों द्वारा भेजे जाने वाले प्रारम्भिक लेखों की स्थिति संतोषजनक है। फिर भी, लोक निर्माण कार्य तथा वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले लेखों की स्थिति में सुधार होना आवश्यक है।

## 7.7. सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तथा विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल

जब अग्रिम धन की आवश्यकता होती है या आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) सही राशि की आवश्यकता की गणना करने में समर्थ नहीं होने पर वे बिना समर्थित वाउचरों के सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अनुमत्य है। ऐसे एसी बिलों को अधिकतम 3 माह में विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों के प्रस्तुतीकरण से समाशोधित करना होता है। 31 मार्च 2016 को ₹ 274 करोड़ के कुल 252 डीसी बिल बकाया थे। इसमें एक साल से अधिक के बकाया के 68 डीसी बिल राशि ₹ 62 करोड़ सम्मिलित हैं।

## 7.8. अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के लेखे पर वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा दस करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न अपूर्ण परियोजनाएं, जो जल संसाधन, लोक निर्माण तथा जन-स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभागों के अधीन हैं, पर वर्ष 2015-16 तक कुल ₹ 13,072 करोड़ का व्यय किया गया।









कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान  
जनपथ, जयपुर-302005

[agaerajasthan@cag.gov.in](mailto:agaerajasthan@cag.gov.in)

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर